

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा पता:- बिल्डिंग नं० 33 फ्लेट नं० एफ-2  
बालाजी रेजिडेन्सी 1 सनराईज सिटी निवारू जयपुर-302012।



बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा।  
अपील सं० 24/2020

निर्णय

दिनांक :14.07.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मँगवाई गई।

अपीलांत को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी (भू०अ०) कलेक्ट्रेट दौसा से संबंधित होने के कारण अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी भू०अ० कलेक्ट्रेट दौसा को सूचना के अधिकार की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू०अ० कलेक्ट्रेट दौसा के निर्देश पर तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा उनके पत्रांक: 4410 दिनांक 07.04.2020 द्वारा आवेदक को दे दी गई थी। तत्पश्चात अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना तहसील कार्यालय दौसा से उपलब्ध होना संभव बताने पर तहसीलदार दौसा को प्रार्थी को वांछित सूचना /नकल उपलब्ध कराते हुए टिप्पणी रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार दौसा द्वारा अपने पत्रांक: 3503 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई है जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना/रिकार्ड संबंधित तहसील कार्यालय नांगल राजावतान को उपलब्ध करवा दिया जाना व्यक्त किया गया है। उक्त पत्र की प्रति अपीलांत को प्रेषित की गई है। जिसके द्वारा अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। अपीलांत द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को तहसीलदार दौसा के पत्रांक 3503 दिनांक 10.07.2020 की प्रति एवं निर्णय की प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा